

एक्सपर्ट्स की नजर में

▶ '10 लाख रुपये तक के लोन सस्ते रखने से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में मांग बढ़ेगी। लोग किराये पर रहने की बजाय अपना घर खरीदने को प्रेरित होंगे। लोगों को निवेश के लिए अच्छा माध्यम मिलता रहेगा।'

भीम यादव, सीईओ
फैल्कॉन रियलिटी सर्विसेज प्रा.लि.

▶ 'रीयल एस्टेट सेक्टर की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया जैसे - इंडस्ट्री स्टेटस, मार्च 2011 तक टैक्स में छूट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आदि। इनसे न सिर्फ अर्थव्यवस्था सुधरती, बल्कि देश में मकानों की कमी को भी पूरा किया जा सकता था।'

नवीन एम.रहेजा
डायरेक्टर, रहेजा डिवेलपर्स लिमिटेड

▶ 'हम रीयल एस्टेट को दी गई राहतों, जैसे - कर में छूट की सीमा एक साल और शॉपिंग एरिया बढ़ाने, का स्वागत करते हैं।'

काबुल चावला, एमडी, बीपीटीपी

▶ 'मिले-जुले असर वाला बजट है। इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे रीयल एस्टेट में मांग बढ़ेगी। सेक्शन 80 (आईबी) के अंतर्गत छूट का विस्तार डिवेलपर्स को राहत देगा। दूसरी ओर, सीमेंट और स्टील पर दो प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे मकानों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।'

आर.के. अरोड़ा
सीएमडी, सुपरटेक लिमिटेड

▶ 'टैक्स के नए स्लैब से लोग ज्यादा लोन ले सकेंगे, जबकि 10 लाख रुपये तक के लोन सस्ते रहने से अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा। बैंकों के नए लाइसेंस से टिआर1 व 2 शहरों में कमर्शियल प्रॉपर्टीज की मांग बढ़ेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर से रीयल एस्टेट को लाभ होगा।'

प्रणव दत्ता

वीसी एंड एमडी, नाइट फ्रैंक इंडिया

▶ 'अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ सभी सेक्टरों तक पहुंचाने के लिए डिवेलपर्स को और ज्यादा राहतों की उम्मीद थी। फिर भी 10 लाख तक के लोन पर सब्सिडी जारी रखने का कदम स्वागत योग्य है। इससे अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा।'

प्रदीप जैन, चेयरमैन,

पार्श्वनाथ डिवेलपर्स लिमिटेड

▶ 'वित्त मंत्री ने रीयल एस्टेट सेक्टर की लंबित मांगों की फिर अनदेखी की है। मिड मार्केट हाउसिंग सेगमेंट में डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए थी।'

कमल तनेजा,

मैनेजिंग डायरेक्टर, टीडीआई

▶ 'इस बजट के केंद्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर होने से देश के विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा, रीयल एस्टेट को दी गई राहतें स्वागत योग्य हैं।'

श्रवण गुप्ता, वीसी,

एम्मार एमजीएफ लैंड लि.